**दिनांक 20—21 अगस्त, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य—स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :—**

---

1. **उपस्थितिः—संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भाग लेने एवं अनुपस्थिति की स्थिति में इसकी पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। अगली बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों के संबंधित तिथि का वेतन अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया।

**अनुपालनः— सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां० पदा०**

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन तथा सभी प्रकार के प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक निदेशालय को निश्चित रूप से लभ्य कराने का निदेश दिया गया था। मुजफ्फरपुर, सारण एवं दरभंगा प्रमंडल तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय, प0 चम्पारण को छोड़कर प्रायः सभी प्रमंडलों/जिलों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है। परन्तु निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कराने वाले प्रमंडल/जिला को अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह में लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः— सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

3. सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को क्षेत्र में रहकर सांख्यिकी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः— निदेशालय/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को जिला स्तरीय सभी प्रकार के बैठकों में भाग लेने एवं सांख्यिकी कार्यो की समीक्षा करने का निदेश दिया गया। ताकि सांख्यिकी के लंबित प्रतिवेदनों को अद्यतन किया जा सके।

**अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०**

5. **स्थापना :—**

(i) जिस प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०) कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में कर्मियों का पदस्थापन शून्य है उक्त कार्यालय में कर्मी के पदस्थापन पर विचार करने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि कर्मी के कमी को दूर करने हेतु तत्काल किसी नजदीक के प्रखंड से प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को सप्ताह में तीन दिन कार्यालय कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाय।

**अनुपालनः— निदेशालय/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ii) सभी नवप्रोन्नत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं संकलक को एक सप्ताह के अन्दर नवपदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित करने का निदेश संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को दिया गया। नवप्रोन्नत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं संकलक को एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं करने वाले नियंत्री पदाधिकारियों पर कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः— संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ स्थापना शाखा, निदेशालय**

6. **बजट :—**

(i) क) वित्तीय वर्ष 2018—19 के माह—जुलाई 2018 का व्यय विवरणी सभी कार्यालयों से प्राप्त है, इसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। परंतु कई जिलों से प्राप्त मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS से प्राप्त व्यय विवरणी की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण निदेश दिया गया कि मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालन—सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**



"जन्म हो मरण, जरूरी है पंजीकरण"

ख) प्रत्येक माह नियमित एवं नियत समय पर वेतन आदि का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें।

**अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

ग) गत बैठकों में दिये गये निदेश के बावजूद कार्यालय के अद्यतन संधारित रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठ एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति सभी कार्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर क्षोभ प्रकट किया गया साथ ही सभी को निदेश दिया गया कि उक्त प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय के लेखा शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निदेशालय से भ्रमण में जाने वाले सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि भ्रमण के दौरान निश्चित रूप से कार्यालय के रोकड़ पंजी की जाँच/अवलोकन करें एवं यदि किसी कार्यालय का रोकड़ पंजी अद्यतन संधारित नहीं है तो तुरंत वहाँ के आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी तथा रोकड़पाल पर कार्रवाई की अनुशंसा करें।

**अनुपालन– निदेशालय के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/ सभी जिला सां०पदा०**

(ii) लंबित AC/DC विपत्र की समीक्षा में पाया गया कि केवल जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना के यहाँ AC विपत्रों के विरूद्ध समर्पित DC विपत्र असमायोजित है जिसका समायोजन यथाशीघ्र करवाने का निदेश दिया गया। AC विपत्र के संबंध में यह भी निदेश दिया गया कि अगर कोई लंबित/असमायोजित DC विपत्र उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित नहीं है तो इसका सत्यापन कोषागार से करा लें।

**अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदा०, पटना**

(iii) निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विगत वर्षो में समर्पित DC विपत्रों से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु महालेखाकार कार्यालय के भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को प्रेषित पत्र का अनुपालन यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, किशनगंज, मधेपुरा, शेखपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति से संबंधित पत्र जो महालेखाकार कार्यालय द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है, के आलोक में विगत् पाँच वर्षो से लंबित आपत्तियों का निराकरण यथाशीघ्र करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को प्रेषित कर उसकी प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायेगें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि यदि प्रेषित लेखा परीक्षा आपत्ति आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र कोषागार से प्राप्त कर उसकी प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

**अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा**

(iv) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद, वैशाली एवं मधुबनी के यहाँ काफी समय से अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन लंबित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित अंकेक्षण आपत्ति के जिन कंडिकाओं का अनुपालन तुरन्त किया जा सकता है, उसका अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला के कुछ प्रखडों/अंचलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर उतनी राशि का उपयोगिता प्रमाण प्रेषित करते हुए आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने तथा शेष राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा**

7. **कृषिः–**

(i) समान्य जिंसवारः– कृषि वर्ष 2018–19 का भदई द्रुत जिंसवार दिनांक 05.08.18 तक निदेशालय को लभ्य कराना था। परन्तु अभी तक शिवहर, किशनगंज, रोहतास एवं गया जिला से प्रतिवेदन प्राप्त है। शेष जिलों को प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। रब्बी समान्य जिंसवार बांका, पटना एवं सुपौल जिला से अप्राप्त है। गरमा सामान्य जिंसवार पटना, नालंदा, भोजपुर, पू०चम्पारण, प० चम्पारण, सुपौल, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया एवं बांका जिला से अब तक अप्राप्त है। लंबित प्रतिवेदनों को शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ii) प्रक्षेत्र मूल्यः– भदई प्रक्षेत्र मूल्य केवल कटिहार जिला से अप्राप्त है। रब्बी प्रक्षेत्र मूल्य के लिए यह प्रतिवेदन मुंगेर, बांका, भभूआ एवं कटिहार से अप्राप्त है। जबकि गरमा प्रक्षेत्र मूल्य प० चम्पारण, सुपौल, कटिहार, औरंगाबाद, दरभंगा एवं बांका से अप्राप्त है। लंबित प्रतिवेदनों को शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iii) फसल सांख्यिकी सुधार योजना अन्तर्गत लंबित जिलों को रब्बी 1.0, 1.1 गेहूँ 2.0 चना 2.0 राई/सरसों 2.0 अरहर 2.0 एवं गरमा 1.0 एवं 1.1 प्रतिवेदन एक सप्ताह में भेजने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iv) राज्य में कृषि वर्ष 2018–19 में "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" लागू है। खरीफ 2018–19 के लिए भदई मकई एवं अगहनी धान को इस योजना के तहत् अधिसूचित किया गया है। इन फसलों का पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग आयोजित किया जाना है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी साथ ही भदई मकई का पंचायत स्तरीय आयोजन सूची तैयार कर शीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(v) **फल–सब्जीः–** फल–सब्जी कटनी प्रयोग में सभी लंबित प्रतिवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

8. **वर्षापातः–**

(i) वर्षा के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वा0 तक लोड करने का निदेश दिया गया। प्रतिदिन का वर्षापात के आंकड़ों से निदेशक महोदय को अवगत कराया जाना है।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय**

(ii) प्रत्येक पंचायत में वर्षामापक यंत्र का अधिष्ठापन किया जाना है। प्रत्येक पंचायत के सरकारी भवन यथा स्कूल/पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन के छत पर अधिष्ठापित करने हेतु IMD के मानक शर्त्तों के अनुसार नजरी नक्शा सहित स्थान को चिन्हित् कर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

9. **रान्यासः–**

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 76वें सत्र के प्रथम उपसत्र में माह– जुलाई 2018 तक के कार्यो की समीक्षा की गयी। प्रत्येक माह के सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियाँ निदेशालय को अनुवर्ती माह के 7वीं तारीख तक लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**



"जन्म हो मरण, जरूरी है पंजीकरण"

(ii) समीक्षा के क्रम में रान्यास के 76वें सत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समानुपातिक रूप से ससमय कार्य संपादन हेतु निदेश दिया गया। साथ ही इस कार्य हेतु नवप्रतिनियुक्त कनीय सांख्यिकी सहायक को मुख्यालय में दिनांक 24.08.18 को प्रशिक्षण देने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः— सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/जिला सां० पदाधिकारी/निदेशालय**

**10. <u>लघु सिंचाई गणनाः—</u>**

(i) निदेशालय द्वारा भेजी गयी छठी लघु सिंचाई गणना के मास्टर डाटा की जॉच कर इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजेगें कि एक भी ग्राम एवं वार्ड का नाम नही छोड़ा गया है। यदि त्रुटि पायी गयी हो तो संशोधित मास्टर डाटा के साथ प्रमाण पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(ii) ग्राम निदेशिका (चार्ज रजिस्टर) 31.08.18 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

(iii) पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013—14 के मानदेय मद में आवश्यक राशि का मांग पत्र की अधियाचना पूर्व आवंटित राशि के Justification के साथ भेजने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

**11. <u>जीवनांकः—</u>**

(i) **<u>जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदनः—</u>** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करे।

**अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ii) **<u>प्रतिवेदन प्रेषण का स्तरः—</u>** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म—मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iii). **<u>जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धिः—</u>** जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया। माह—जुलाई 2018 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 58 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। बेगुसराय, शेखपुरा, किशनगंज, दरभंगा एवं भागलपुर जिलों के द्वारा माह—जुलाई 2018 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया इसके लिए उन जिलों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अगस्त माह तक 65 प्रतिशत की उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है परन्तु समीक्षा के क्रम में वैसे जिलें जिनकी उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम है उन्हें अगले माह तक 50 प्रतिशत एवं जिनका प्रतिशत उपलब्धि 50 प्रतिशत या उससे अधिक है उन्हें अगले माह तक 65 प्रतिशत उपलब्धि निश्चित रूप से प्राप्त करने का निदेश दिया गया। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपने अधिनस्थ जिलों के जिला पदाधिकारी से मिलकर/सम्पर्क कर कारगर कदम उठाने का निदेश दिया गया। विशेष रूप से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया को जिला पदाधिकारी के तरफ से सिविल सर्जन, गया को पत्र देने हेतु निदेशित किया गया।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा को रजौली एवं हिसुआ अनुमंडल में ऑन—लाईन रजिस्ट्रेशन में उत्पन्न समस्या के लिए संबंधित रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत् जुर्माना करने हेतु जिला पदाधिकारी के समक्ष संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः— सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iv) समीक्षा के क्रम में सारण जिला में पंचायत स्तर के रजिस्ट्रीकरण ईकाइयो में सी.आर.एस. पोर्टल के माध्यम से अबतक ऑनलाईन रजिस्ट्रीकरण प्रारंभ नहीं किये जाने पर खेद प्रकट किया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि सभी रजिस्ट्रीकरण ईकाईयों में एक सप्ताह के अन्दर सी.आर.एस. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन रजिस्ट्रीकरण कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालनः–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण**

(v) स्वास्थ्य संस्थानों में घटित जन्म–मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में पाये जा रहे अंतर से जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया तथा अंतर को शीघ्र समाप्त करने हेतु निदेशित किया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(vi) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाईयों का निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व प्राप्ति की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। प्रत्येक माह में निर्धारित संख्या के अनुरूप निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(vii) **नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्सः–** नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स असम से प्राप्त जीवनांक अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन अभी भी 754 की संख्या में विभिन्न जिलों में लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को NRC से संबंधित जीवनांक अभिलेखों को सत्यापित कर प्रतिवेदन निम्न समयावधि तक निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

| जिला का नाम | लंबित प्रतिवेदनों की सं0 | सभी लंबित प्रतिवेदन निष्पादित किये जाने की समयावधि |
|---|---|---|
| पटना | 27 | 30 अगस्त 2018 तक |
| नालंदा | 1 | 30 अगस्त 2018 तक |
| भोजपुर | 2 | 30 अगस्त 2018 तक |
| कैमूर | 3 | 30 अगस्त 2018 तक |
| किशनगंज | 2 | 30 अगस्त 2018 तक |
| अररिया | 2 | 30 अगस्त 2018 तक |
| कटिहार | 12 | 30 अगस्त 2018 तक |
| सुपौल | 4 | 30 अगस्त 2018 तक |
| मधेपुरा | 1 | 30 अगस्त 2018 तक |
| मुजफ्फरपुर | 109 | 30 अगस्त 2018 तक 50, शेष सितम्बर 2018 तक |
| पूर्वी चम्पारण | 30 | 30 अगस्त 2018 तक |
| प0 चम्पारण | 8 | 30 अगस्त 2018 तक |
| सीतामढ़ी | 30 | 30 अगस्त 2018 तक |
| वैशाली | 152 | 30 अगस्त 2018 तक 50, शेष सितम्बर 2018 तक |
| सारण | 169 | 30 अगस्त 2018 तक 25, शेष सितम्बर 2018 तक |
| सीवान | 41 | 30 अगस्त 2018 तक 30, शेष सितम्बर 2018 तक |
| गोपालगंज | 14 | 30 अगस्त 2018 तक |
| दरभंगा | 47 | 30 अगस्त 2018 तक 10, शेष सितम्बर 2018 तक |
| मधुबनी | 51 | सितम्बर 2018 तक 10, शेष अक्टूबर 2018 तक |
| समस्तीपुर | 18 | सितम्बर 2018 तक |
| मुंगेर | 4 | 30 अगस्त 2018 तक |
| बेगुसराय | 27 | सितम्बर 2018 तक |

**अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(viii) <u>MCCD **त्रैमासिक प्रतिवेदनः**</u>**— वर्ष 2017 में यह प्रतिवेदन 5 जिलों के छः मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से प्राप्त होना था जो सभी 5 जिलों से प्राप्त है।**

**वर्ष 2018 से** यह प्रतिवेदन 5 जिलों के छः मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल के साथ—साथ सभी जिलों के सदर अस्पताल से प्राप्त किया जाना है। रोहतास, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर एवं अररिया से प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास तथा पटना एवं कैमूर से प्रथम त्रैमास का प्रतिवेदन प्राप्त है। शेष जिलों को लंबित प्रतिवेदन ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया। इसके लिए निदेशालय स्तर से सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने हेतु निदेशित किया गया।

**अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/जीवनांक प्रशाखा**

(ix) <u>MCCD **प्रशिक्षण उपयोगिता प्रमाण—पत्रः**</u>— वर्ष 2012—2013 के MCCD प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण—पत्र दरभंगा एवं मुंगेर से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण—पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

वर्ष 2013—2014 का MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण—पत्र दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज एवं मुंगेर से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण—पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

वर्ष 2014—2015 का MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण—पत्र समस्तीपुर, सहरसा एवं मुंगेर से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण—पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

वर्ष 2015—2016 का MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण—पत्र पटना एवं मुंगेर से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण—पत्र एक सप्ताह के अन्दर लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः— संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(x) <u>**SSS प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण—पत्रः**</u>**— नवादा, पटना, नालंदा एवं** सहरसा से वर्ष 2017—18 में प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को 30.08.18 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः— संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(xi) <u>**मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम संबंधित प्रतिवेदनः**</u>— जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः—सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(xii) पी.एम.ओ./सी.एम.ओ. .पोर्टल पर प्राप्त जन्म, मृत्यु एवं शिकायत संबंधी जाँच प्रतिवेदन विशेष अभियान चलाकर एक सप्ताह के अन्दर लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः— सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

**13. <u>साधन सांख्यिक एवं आवास सांख्यिकी</u> :—**

(i) साधन सांख्यिकी का प्रतिवेदन सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 का **लेखा विवरणी (आय एवं व्यय)** विहित प्रपत्र में सभी जिलों से अप्राप्त है जिसे लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः—सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।**

(ii) साधन सांख्यिकी अन्तर्गत सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) की अद्यतन सूची आधार वर्ष 2017—18 के पुनरीक्षण हेतु विहित प्रपत्र में गया, खगड़िया, सारण, वैशाली, भागलपुर, सहरसा, अरवल, सीवान, औरंगाबाद एवं मधुबनी से प्राप्त है। शेष जिलों से प्रतिवेदन लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

**अनुपालनः—संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।**

(iii) राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 का मांग पत्र भेजने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं बेगुसराय को निदेश दिया गया।

**अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।**

(iv) आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन ऑन–लाईन अद्यतन प्रतिवेदन भारत सरकार को लभ्य कराने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, दरभंगा, बेगुसराय, पटना, कटिहार एवं सारण को भेजने हेतु निदेश दिया गया।

**अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।**

**14. <u>औद्यौगिक उत्पादन सूचकांक एवं कृषि पदार्थो का थोक मूल्य</u> :–**

(i) कृषि पदार्थो का थोक मूल्य प्रत्येक सप्ताह में निश्चित रूपेण निदेशालय में लभ्य कराने हेतु सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

**अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।**

(ii) औद्यौगिक उत्पादन सूचकांक से संबंधित लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को शीघ्रताशीघ्र लभ्य कराने हेतु सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

**अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।**

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक 30/8/18

**बिहार सरकार**

***योजना एवं विकास विभाग***

**(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)**

**बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 06/2017/ 998 /पटना, दिनांकः– 31.08.18

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

निदेशक 30/8

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 06/2017/ 998/पटना, दिनांकः– 31.08.18

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 30/08



'जन्म हो मरण, जरूरी है पंजीकरण'

संचिका